बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

ज्ञापांक–पु0 / सू0 / केन्द्र / नि0 / प्राधिकार–85 / 2014 ....50........ पटना, दिनांक 26/05/2025

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0)
बिहार पटना ।

औपचारिक रूप से परामर्शित द्वारा आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में श्रीमती राधिका सिन्हा इन्स्टीच्यूट एवं सच्चिदानन्द सिन्हा लाईब्रेरी (राज्य पुस्तकालय) बिहार, पटना को परिसम्पत्तियों के निर्माण 31–05 मद में रू0–20,00,000=00 मात्र की स्वीकृति एवं व्यय की विमुक्ति की स्वीकृति के संबंध में।

उद्देशयः–

श्रीमती राधिका सिन्हा इन्स्टीच्यूट एवं सच्चिदानन्द सिन्हा लाईब्रेरी (राज्य पुस्तकालय) बिहार, पटना को वित्तीय वर्ष 2025–26 में सरकार द्वारा परिसम्पत्तियों के निर्माण 31–05 मद में कुल रू0–20,00,000=00 (बीस लाख रूपये) मात्र की राशि का प्रावधान किया गया है। सरकार द्वारा इस पुस्तकालय को अधिग्रहण किये जाने के पश्चात् पुस्तकालय भवन के जीर्णोद्धार तथा रख–रखाव आदि हेतु पूर्व में इस मद में राशि का प्रावधान किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी इस मद में प्रावधानित राशि से पुस्तकालय भवन का जीर्णोद्धार / मरम्मति इत्यादि कार्य कराया जा सकता है। इस पुस्तकालय में पाठकों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध है। प्रश्नगत पुस्तकालय को राज्य पुस्तकालय का दर्जा प्रदान किया गया। उक्त पुस्तकालय छज्जुबाग के निकट में अवस्थित है। इस पुस्तकालय में कई वर्षों से पाण्डुलिपियाँ एवं कई तरह के ऐतिहासिक पुस्तकें संग्रहित है। पुस्तकालय में प्रतिदिन अच्छी सख्याओं में शोधार्थी एवं पाठकगणों का आगमन होता रहता है। अतएव, वित्तीय वर्ष 2025–26 में सिन्हा लाईब्रेरी, पटना के लिए 31–05 परिसम्पत्तियों के निर्माण मद में उपबंध किये गये रू0–20,00,000=00 (बीस लाख रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति एवं व्यय की विमुक्ति प्रदान की जाती है।

आदेश–स्वीकृत।

महाशय,

2. श्रीमती राधिका सिन्हा इंस्टीच्यूट एवं सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी (राज्य पुस्तकालय) बिहार, पटना को परिसम्पत्तियों के निर्माण मद में निम्न प्रकार से राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्रम सं0	मद	राशि
1.	**परिसम्पत्तियों के निर्माण** 0002–31–05	20,00,000 / –
	कुल :–	20,00,000 / –

3. वित्तीय वर्ष 2025–26 में बजट शीर्ष अन्तर्गत व्यय का विकलन मांग संख्या–21, मुख्य शीर्ष–2205–कला एवं संस्कृति, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–105–सार्वजनिक पुस्तकालय, उपशीर्ष–0002–सिन्हा लाईब्रेरी पटना–सहायक अनुदान, विपत्र

कोड–21–2205–00–105–0002, विषय शीर्ष–0002–31.05 परिसम्पत्तियों निर्माण मद के अन्तर्गत **रू0–20,00,000=00 (बीस लाख रूपये)** मात्र के अन्तर्गत होगा।

4. उक्त आवंटन को विशेष सचिव, शिक्षा विभाग के द्वारा **C.F.M.S** प्रक्रियाधीन करते हुए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र बिहार पटना को उपलब्ध कराया जायेगा।

5. उक्त राशि निदेशक, पुस्तकालय–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा **BTC-42** पर विपत्र तैयार कराकर कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना के माध्यम से **Bank Name- BANK OF BARODA, Saving Account No-00030100018204, IFSC CODE-BARB0PATNAX, Branch-Patna MAIN BRANCH, Patna-800001** में तत्काल सुरक्षित रखते हुए **RTGS** के माध्यम से उक्त पुस्तकालय के कार्यालय खाते में विहित प्रक्रिया तहत उपलब्ध करायेंगे, साथ ही यह सुनिश्चित हो लेंगें कि इसके पूर्व वित्तीय वर्ष का संबंधित पुस्तकालयों से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ली गई है। इसके पश्चात् ही पुस्तकालय में कर्मियों को राशि भुगतान किया जायेगा।

6. संचिका संख्या–पु0 / सू0 / केन्द्र / निदे0 / प्राधिकार–85 / 2014 के **पृ०–167–168 / टि० पर दिनांकः–29.04.2025** को राशि की निकासी पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

7. संचिका संख्या– पु0 / सू0 / केन्द्र / निदे0 / प्राधिकार–85 / 2014 के **पृ०–171 / टि० पर दिनांकः–08.05.2025** को अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

8. संचिका संख्या– पु0 / सू0 / केन्द्र / निदे0 / प्राधिकार–85 / 2014 के **पृ०–171 / टि० पर दिनांकः–08.05.2025** को माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

9. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग, वित्त अंकेक्षण विभाग, बिहार एवं महालेखाकार बिहार, पटना को लेखा का अंकेक्षण निरीक्षण करने का अधिकार होगा। पुस्तकालय के संबंधित सचिव इस राशि का लेखा का संधारण अलग से करेंगें।

10. स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र (फार्म–42 ए0) में विधिवत भरकर एवं चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से अंकेक्षण के साथ निर्धारित अवधि में विभाग को समर्पित किया जायेगा, ताकि प्रतिहस्ताक्षरोपरांत महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना को प्रेषित किया जा सके।

11. 18 माह पूर्व निर्गत स्वीकृत्यादेश से संबंधित उपयोगिता प्रमाण–पत्र का समायोजन महालेखाकर, बिहार से करा लिया जायेगा।

12. राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश सं०–2561, दिनांक–17.04.1998 एवं समय–समय पर वित्त विभाग राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशो के आलोक में किया जायेगा।

13. स्वीकृत्यादेश वित्त विभागीय संकल्प सं०–12888 दिनांक–03.12.2024 के कंडिका–3 और 5 (ख) (ii) के आलोक में निर्गत की जा रही है तथा वित्त विभागीय परिपत्र

सं०–7355, दिनांक–05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

14. राशि का विचलन किसी अन्य मद में नही किया जाय।

15. मितव्ययिता अवश्य बरती जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–पु0/सू0/केन्द्र/निदे0/प्राधिकार–85/2014–..................पटना, दिनांक..........................

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

ह0/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–पु0/सू0/केन्द्र/निदे0/प्राधिकार–85/2014 50 पटना, दिनांक 26/05/2025

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड पटना/निदेशक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र निदेशालय, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी–सह–जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिन्हा लाईब्रेरी, पटना/अपर सचिव–सह–बजट पदाधिकारी, बजट शाखा प्रशाखा–05/लेखाशाखा, पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र निदेशालाय/आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/5/25

सरकार के उप सचिव